संख्या-04 /2021/179 /71-4-2021-जी-137/2018टी0सी0-6

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
अटल बिहारी वापजेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनाँक 02 फरवरी, 2021

विषय:- अटल बिहारी वापजेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ के भवन निर्माण की परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-244/एबीवीएमयू/2020, दिनांक 15-12-2020, जिसके द्वारा अटल बिहारी वापजेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ के भवन निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित आगणन उपलब्ध कराते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुरोध किया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 20176.68 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अटल बिहारी वापजेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ के भवन निर्माण कार्य कार्य हेतु शासनादेश संख्या-15/2019/2140/71-4/2019-जी-137/2018 टी0सी0-6 दिनांक 23-12-2019 द्वारा धनराशि रू0 4000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अटल बिहारी वापजेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ के भवन निर्माण हेतु प्रथम चरण के निर्माण कार्यों की पुनरीक्षित प्रायोजना हेतु रू0 20696.59 लाख (रूपये दो अरब छ: करोड़ छियान्नवे लाख उन्सठ हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

1. प्रायोजनान्तर्गत अनावासीय भवनों में कार्यमद पुनरीक्षित प्रायोजना में इटैलियन मार्बल, वुडेन फर्श, परफोरेटेड जिप्सम बोड फाल्स सीलिंग, स्पाइडर ग्लास सिस्टम, विनियर पैनेलिंग, एकोस्टिक फैब्रिक पैनेलिंग, कारपेट फ्लोरिंग, आर्मस्ट्रॉग फाल्स-सीलिंग, पोलिश्ड चैनल फ्रेम, लेमिनेट पैनेलिंग, लैकर्ड ग्लास, फैब्रिक पैनेलिंग, एच0वी0ए0सी0 सिस्टम, बूम बैरियर एवं सोलर फोटो वोल्टइक सिस्टम उच्च विशिष्टियों पर मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त हो गया है।
2. प्रायोजना की लागत रू0 50.00 करोड़ से अधिक है। अत: वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-19/2019/बी-2-615/10-2019 दिनांक 13-12-2019 के अनुसार प्रायोजना का क्रियान्वयन ई0पी0सी0 मोड द्वारा कराया जाय। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना के संबंध में ई0पी0सी0 मोड की समस्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रायोजना में थर्ड पार्टी क्वालिटी आडिट/इन्शपेक्शन हेतु प्रस्तावित 01 प्रतिशत को अनुमन्य नहीं किया जायेगा।
4. कुलसचिव/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कुलसचिव/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
6. प्रायोजनान्तर्गत सब स्टेशन उपकरण, डी0जी0सेट, एयरकन्डीशनिंग सिस्टम, एस0टी0पी0, फायर फाइटिंग सिस्टम, लिफ्ट एवं बाट आउट मदों की लागत कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। इसे इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। इनके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करेगी। यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।
7. प्रायोजना प्रस्ताव में कुल 49.90 एकड भूमि की आन्तरिक रोड एवं पाथवे, सीवर, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, स्टार्म वाटर ड्रेन, हार्टीकल्चर एवं साइन बोर्ड आदि हेतु विस्तृत आगणन गठित् कर प्रस्तावित की गयी है। निर्माण से पूर्व इन समस्त कार्यो का विस्तृत लागत विवरण स्थल को देखते हुए गठित कर सक्षम स्तर से अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ही निर्माण कार्य कराया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/कुलसचिव का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9. प्रायोजना की लागत का आकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
10. प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्वि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से कुलसचिव/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26-08-2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. पुनरीक्षण के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-03-2020 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलसचिव/कार्यदायी संस्था की होगी।
15. कुलसचिव/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्गनत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
16. चालू कार्यों के लिए वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24-03-2020 एवं शासनादेश दिनांक 07 एवं 11 अप्रैल, 2020 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही कुलसचिव द्वारा की जायेगी।
17. प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।
18. प्रायोजना की शर्त यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण किए जाएंगे।
19. कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।
20. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

4- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-78-मा0 अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-ई-3-39/दस-2021, दिनांक 30 जनवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव

संख्या:-04 /2021/ 179 (1)/71-4-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, अटल बिहारी वापजेयी, चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।